2:1. In special category, it is 3:1. Now, they are to organise minimum—not the maximum, though it is a State subject—and maximum funding would be given by the Central Government.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in the Tenth Plan, about 11 million hectares of land has to be covered under various irrigation schemes by the Government of India. The hon. Minister is saying that it is a State subject. But, the major responsibility lies with the Central Government. Shri Ramachandraiah has said that funds are required for the State Governments. I would like to know from the hon. Minister how many schemes have been completed by the Mid-Term Appraisal; and thereafter to cover the 11 million hectares of land, which is a very ambitious plan. I would like to know from the hon. Minister how many hectares of land, in various States, has been covered under the scheme.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, I don't have the details with me right now as to how many millions of hectares of land has been covered. I will send details to the hon. Member.

नई अफीम नीति

*383. **डा॰ प्रभा ठाकुर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई अफीम नीति में आर्द्रता का नया नियम लागू किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस नई नीति के परिणामस्वरूप अफीम की खेती करने वाले छोटे किसानों को भूमि के पट्टों से वंचित होने के कारण नुकसान होगा, यदि हां, तो देश के कितने किसान सरकार की इस नई नीति के कारण नुकसान उठाएंगे और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस नई अफीम नीति से लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इस नीति के बनाए जाने के कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

नयी अफीम नीति के संबंध में

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी शर्तों में आगामी फसल वर्ष के लिए लाइसेंस की शर्तों के बारे में किसानों को पूर्व चेतावनी के बारे में एक खण्ड दिया गया है। विगत वर्ष (फसल वर्ष 2004-05) की लाइसेंस की शर्तों में जारी पूर्व चेतावनी के खण्डों में यह नियत किया गया था कि "वे कृषक जिन्होंने फसल वर्ष 2004-05 के दौरान अफीम सौंपी थी जिसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया था, को फसल वर्ष 2005-06 के लिए लाइसेंस से वंचित कर दिया जायेगा।" यह पूर्व चेतावनी खण्ड को चालू वर्ष 2005.06 के लिए अफीम नीति में शामिल किया गया है।

उक्त खण्ड "जल मिश्रित" अफीम सौंपने की कृषकों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत वे कृषक जिन्होंने 55 डिग्री से कम गाढ़ेपन वाली अफीम सौंपी थी, को फसल वर्ष 2005-06 के दौरान लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इसके आधार पर 72480 कृषकों में से 3767 कृषकों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	लाइसेंस से वंचित कृषकों की संख्या
मध्य प्रदेश	1245
राजस्थान	2495
उत्तर प्रदेश	27
योग	3767

यह पाया गया है कि गत कुछ वर्षों के दौरान "जल मिश्रित" अफीम सौंपने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कुछ बेईमान कृषकों द्वारा जानबूझकर "जल मिश्रित" अफीम सौंपी जा रही है ताकि अवैध चैनलों को स्पष्टत: पथान्तरित कच्ची अफीम को अवैध बनाई गई प्रयोगशालाओं में हेरोइन के विनिर्माण में प्रतिस्थापित किया जा सके। अत: ऐसे कृषकों को अफीम की खेती से वंचित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। सरकार को अफीम के साथ जल मिश्रित करने की कृषकों की प्रवृत्ति को रोककर और स्वापक सामग्री के संभावित पथान्तरण को नियंत्रित करके अफीम की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने का लाभ मिलता है।

New Opium Policy

†*383. DR. PRABHA THAKUR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have brought into force a new rule of moisture in its new opium policy alongwith the details thereof;

(b) whether as a result of this policy the small farmers engaged in the cultivation of opium would suffer losses as they would be deprived of lease of land; if so, the number of farmers of the country who would suffer losses due to this policy of Government alongwith the State-wise details thereof;

(c) whether Government would benefit as a result of this new opium policy; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons for formulation of this policy?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

New Opium Policy

The licensing conditions for grant of opium cultivation have a clause on forewarning the farmers about the conditions for licence in the next crop year. Among the clauses of forewarning issued in the Licensing Conditions last year (for the crop year 2004-05), there was a stipulation that "cultivators who had tendered opium during the crop year 2004-05 which has been found to be of a consistency lower than 55 degree will be debarred from licence for the crop year 2005-06." This forewarning clause has been incorporated into the opium policy for the current crop year 2005-06.

The clause has been introduced in view of the growing tendency of cultivators of tendering water mixed opium. Under this provision, those cultivators who tender opium of consistency lower than 55 degree have not been issued licence during the crop year 2005-06. 3767 out of 72480

† Original notice of the Question was received in Hindi.

cultivators (about 5%) have not been given licences based on this. State-wise details of cultivators denied licences on this account are as follows:

State	Number of cultivators denied licences
Madhya Pradesh	1245
Rajasthan	2495
Uttar Pradesh	27
TOTAL :	3767

It has been observed that during the past few years there has been an increasing trend in tendering 'water mixed' opium. The 'water mixed' opium is being tendered by some unscrupulous cultivators deliberately to substitute for the raw opium apparently diverted to illicit channels for manufacture of heroin in illicit, make-shift laboratories. It was, therefore, felt necessary to debar such cultivators from opium cultivation. The government benefits by getting better quality opium by curbing the tendency of cultivators to mix water with opium and by controlling possible diversion of the narcotic material.

डा॰ प्रभा ठाकुर: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि मेरा यह सवाल छोटे किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। उत्तर-भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां कई छोटे किसान हैं, जिन्हें केवल मात्र आधा बीघा जमीन दी जाती है, जमीन का पट्टा दिया जाता है अफीम की खेती के लिए, लेकिन अफीम की नई नीति के कारण, जैसे कि आंकड़े दिए गए हैं कि राजस्थान में 2495 किसान इन पट्टों से वंचित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वे क्या इसी नीति पर कायम हैं या इसे एक बार और रिव्यू करेंगे? क्योंकि जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके अनुसार राजस्थान में केवल 2495 किसान इन पट्टों से वंचित किए गए हैं, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार करीब 20,000 से अधिक किसान पट्टों से वंचित हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। फिर यह जो गाढ़ता की नई नीति बनाई गई है और इसके लिए 55 डिग्री की गाढ़ता का जो सिद्धान्त बनाया है, नीति बनाई गई है मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि 55 डिग्री गाढ़ता की यह जो प्रक्रिया है, इसकी पारदर्शिता से वे क्या निश्चिंत हैं, क्या वे समझते हैं कि इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाती है?

श्री सभापति: ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन।

डा॰ प्रभा ठाकुर: क्या किसानों के सामने ही इसकी जांच की जाती है या सैम्पल ले जाकर बाद में उन्हें इस बारे में बताया जाता है?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, according to our figures, only 2,495 cultivators, who had cultivated opium in Rajasthan, last year, have been denied licences in the current year. In fact, in total in the three States, only 3,767 cultivators have been denied licences. 72,480 cultivators, except these 3,767 cultivators have been denied licences. 72,480 cultivatos, except these 3,767 have been granted licences. So the number of 'twenty thousand' is not borne out by our records. Secondly, as far as testing for consistency is concerned, we take samples-there are well-accepted testing procedures-and testing is done in a transparent manner. In fact, we want opium consistency at 58 degree centigrade. However, we have, now, said that if anybody gives us less than 55 degree centigrade, he will be denied a licence. This is done in order to prevent the growing tendency of mixing water with opium. In fact, our experience, during the last four years, has been that this practice has been rising year after year, year after year, year after year. In Rajasthan, the percentage of cultivators, who gave water-mixed opium, has risen from 10.5 per cent to 25.46 per cent. Therefore, this rule was introduced so that people do not mix water with opium.

डॉ॰ प्रभा ठाकुर: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी इस बात से तो सहमत हूं कि किसानों के द्वारा कहीं अफीम का दुरुपयोग न हो, इसके लिए वे यह प्रक्रिया बरत रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार जांच किसानों के समक्ष नहीं की जाती है और उस जांच में पूरी पारदर्शिता नहीं रह पाती है, तो क्या वे इस जांच प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की कृपा करेंगे और क्या संबंधित राज्य सरकारों की ओर से भी नई अफीम नीति में कुछ संशोधन करने का कोई रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है तथा क्या आप उस पर विचार करेंगे?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am sorry, there is no proposal to review the policy. Anyone who gives water-mixed opium, and consistency is less than 55 degree centigrade, I am afraid, there is no possibility of giving him any licence.

श्री विक्रम वर्मा: माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश के भी बड़े हिस्से में अफीम की खेती होती है और लगभग 1245 किसानों के पट्टे निरस्त किए गए हैं। पहली बात तो यह है कि यह जो पॉलिसी है, यह 2004-05 में पहली बार लागू की गई। स्वाभाविक रूप से जिस प्रक्रिया से किसान पहले अफीम तैयार करते थे, उसी प्रक्रिया से अफीम तैयार करके वे सैंटर पर लाते हैं बेचने के लिए।

इसलिए जब 2004-05 में पहली बार पॉलिसी लागू की गई, तो उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं-पहली बार में जितनी डिग्री या कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए थी, वह शायद न हो पाई हो, लेकिन पहली बार में कमी पर ही आप उनके लाइसैंस निरस्त कर दें, यह ठीक नहीं है, मेरे विचार में इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। यदि उसमें थौड़ी पानी की मात्रा है, तो आप स्वाभाविक रूप से उतनी परसैंटेज के हिसाब से उसकी कास्ट कम कर सकते हैं और उनको इसके आधार पर एक चेतावनी देकर एक मौका और दिया जाना चाहिए। पहली बार आपने एक पॉलिसी एडाप्ट की और पहली बार कमी होने पर ही आप उनके लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं, यह ठीक नहीं हैं, क्योंकि वे छोटे कल्टिवेटर हैं, उस जमीन पर दूसरी कोई खेती संभव नहीं है। इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार जरूर किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि क्या माननीय मंत्री जी पहली बार लागू की गई इस पॉलिसी को देखते हुए, क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, in fact, debarring was introduced in the policy in the year 2004-05. We received representations. On the basis of representations, I believe, including by the hon. Member, I reviewed the policy last year, and we all agreed that we will not implement the debarring policy last year, but we will include it as a forewarning for the next year. So, clause 6(iii) was introduced in 2004-05 forwarning farmers that in 2005-06 you would be debarred if you gave opium of less than 55per cent. So, 3,667 farmers, out of a little over 80,000 farmers, who gave us opium last year of a consistency less than 55 per cent. have been debarred this year. So, it is not correct to say there was no forewarning; in fact, it is after forewarning, wide publicity, and discussions with all stakeholders.

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 384.

Check on influx of Afghani heroin

*384. SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the recent seizures on naroctics, especially heroin by the Directorate of Revenue Intelligence personnel in Delhi indicate that the contraband originating from Afghanistan is conduited to world markets via Delhi;

(b) whether the majority of offenders nabbed by the DRI are from Ghana, Nigeria and other African nations; and

(c) what steps are being taken to check the influx of Afghani heroin into the country for onward carriage?